।कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, होफ, राजस्थान, जयपुर।

CCF Jodhpur submitted the online proposal ***Kudi Bhagtasani HB to Pali Link Road*** FP/RJ/ROAD/16088/2015 for 0.329 Hac. forest land for diversion after amendment correction as per para 90/C. After examination of the compliance in the proposal is follows:

1. यूजर ऐजेन्सी द्वारा KML file in polygon shape अपलोड की गई है किन्तु संलग्न की गई Polygon of KML में क्षैत्रफल 0.20 है0 आ रहा है जबकि वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव 0.329 है0 का है। इसके अलावा प्रस्तावित सडक की लग्बाई 70 मी आ रही है जबकि प्रस्ताव में 107 मीटर रखी गई है।
2. यूजर ऐजेन्सी द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय की टीप संलग्न कर लिखा गया है कि इसमें कोई आदिवासी नही रहते है अतः प्रमाण पत्र सीधे ही जारी किया गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत सम्पूर्ण राज्य में जिला स्तर/उपखण्ड स्तर/ग्राम पंचायत (नगर पालिका/नगर निगम) स्तर पर समिति गठित है प्रकरण की समीक्षा समिति में किया जाकर प्रकरण अग्रेषित किये जाते है। प्रस्ताव में इन समितियों की बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न नही किया गया है। जो कि अपेक्षित है।
3. बिन्दु संख्या 3 (वनस्पति के घनत्व एवं इको क्लास के संबंध में) की पालना कर दी गई है।
4. बिन्दु संख्या 4 (सडक के किनारे दीवार निर्माण के संबंध में) की पालना कर दी गई है।
5. उप वन संरक्षक जोधपुर द्वारा पार्ट ।। में यह स्पष्ट नही किया गया है कि एन0पी0वी0 किस दर पर चार्ज कर रहे है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में एन0पी0वी0 की दरें निर्धारित है उनसे ज्यादा नही ली जा सकती है। साथ ही एन0पी0वी0 की गणना रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
6. उप वन संरक्षक द्वारा क्षतिपूर्ती के संबंध में गैर वन भूमि (ग्राम सालोडी पंचायत समिति मण्डोर में 2 बीघा एवं ग्राम बाबडी पंचायत समिति बिलाडा में 1.10 बीघा कुल 0.3291 है0) लेने हेतु शर्त लगायी गई है किन्तु इसके संबंध में यूजर ऐजेन्सी द्वारा की गई कोई कार्यवाही (गैर वन भूमि दिये जाने हेतु शपथ पत्र, गैर वन भूमि को वन विभाग को आरक्षित किये जाने के संबंध में आदेश) आदि संलग्न नही किये गये है। क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु राशि दिया जाना प्रस्तावित है।
7. यूजर ऐजेन्सी को गैर वन भूमि के संबंध में अपना कथन एवं इससे संबंधित KML file, GT Sheet and DGPS map भी अपलोड किये जाने प्रस्तावित है।

उक्त बिन्दुओ की सूचना मुख्य वन संरक्षक जोधपुर से ली जाना अपेक्षित है। पत्रावली आदेशार्थ एवं अवलोकनार्थ हेतु प्रस्तुत है।